न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

...कदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
.../24	एफएसएस एक्ट, 2006	13 / 03 / 2024

...ीरेन्द्र कुमार सिंह ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई ...माधोपुर

–आवेदक

बनाम

गिर्राज प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री नवल किशोर गुप्ता (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स गिर्राज किराना स्टोर बस स्टेण्ड बामनवास गंगापुर सिटी।
श्री प्रेमप्रकाश दीक्षित पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद दीक्षित (प्रोपराईटर) मैसर्स कृष्णा एजेन्सी पुरानी अनाज मण्डी के पीछे ,वृन्दावन मार्केट गंगापुर सिटी।
श्री श्याम मुरारी बजाज (प्रोपराईटर) मैसर्स श्री श्याम एजेन्सी 80 / 18 पटेल मार्ग, मानसरोवर जयपुर।
श्री दीलिप कुमार हंसराज भाई रांवल (नोमिनी एवं निदेशक) मैसर्स– श्रीमूल डयेरी प्रा0लि0 नियर उमरदाशी रिवर, कानोदार ब्रिज, कानोदार हाईवे, पालनपुर जिला बनासकंथा गुजरात 385520 निवासी अंबीका नगर, विजय हनुमान मन्दिर के पास ,रामलीला मैदान ,पालनपुर बनासकंथा गुजरात।
मैसर्स– श्रीमूल डयेरी प्रा0लि0 नियर उमरदाशी रिवर, कानोदार ब्रिज, कानोदार हाईवे, पालनपुर जिला बनासकंथा गुजरात 385520

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 04 / 09 / 2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 26.04.2023 को दोपहर 02:00 पी.एम.पर फर्म गिर्राज किराना स्टोर बस स्टेण्ड बामनवास पर पहुंचा मौके पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसने अपने आपको विक्रेता व प्रोपराईटर होना बताया एवं अपना नाम गिर्राज प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री नवल किशोर गुप्ता बताया बताया एवं श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाया एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु घी (श्रीमूल) 1–1 लीटर काउन्टर पर रखे हुए थे। उक्त घी में गुणवत्ता / मिलावट होने का अनदेशा होने पर वास्ते नमुना जांच 1 पैकेट घी (श्रीमूल) 1 लीटर के मूल पेकैट खरीदकर उनकी कीमत 522 / – रू0 विक्रेता श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता को नगद अदाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान कालूराम माली के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा घी (श्रीमूल) 1 लीटर को विक्रेता एव गवाहान को चार खाली साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतलो को दिखाकर उक्त खरीदशुदा घी (श्रीमूल) को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं बोतलों को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकिट पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड कमांक एच–2825 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज मे लेपटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–2825 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप एवं रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाये स्वयं आवेदक ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

...जिला कलेक्टर एव
... जिला मजिस्ट्रेट
... सिटी

आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाह को सुनाकर, समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां जिसे विक्रेता गिर्राज प्रसाद गुप्ता ने भी पढकर र एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील । जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद ल मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपड़ी से मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर फार्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर मूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर को करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई पुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2023/849 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1661/एक्ट/2023/1671 दिनांक 10.05.2023 अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (श्रीमूल) सबस्टेण्डर्ड, ड्रावेन्स, प्रकृति का होना पाया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर भियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस ी गई।

अभियुक्तगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा बतायी गई समस्त कार्यवाही गलत निराधार है। आवेदक द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ श्रीमूल घी अभियुक्त सं0 1 के सामने ना तो पैक किया है ना ही सील किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त घी का भुगतान भी अभियुक्त को नहीं किया गया है , साथ ही उक्त जांच रिपोर्ट भी गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है। उक्त जांच रिपोर्ट मे किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं पायी गई है। केवल टेस्ट के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक प्रकृति का बताया गया है जो गलत व निराधार है, साथ ही अभियुक्तगण ने उक्त प्रकरण में कार्यवाही झाप करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/1661/एक्ट/2023/1671 दिनांक 10.05.2023 के अनुसार अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड, कोन्द्रावेन्स, प्रकृति के खाद्य पदार्थ घी (श्रीमूल) का निर्माण व विक्रय करना पाया गया है।यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51एवं 58 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्तगण को उक्त दोनों धाराओं में संयुक्त रूप से 25,000 (पच्चीस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी